REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2018

जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद एवं आतंकवाद को कम करने में शिक्षा की भूमिका का एक अध्ययन।

डॉ. अजय सिंह लटवाल[1], गीता लटवाल[2], देवेन्द्र सिंह चम्याल[3]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, कुमाऊँ वि० वि० नैनीताल, महिला डिग्री कालेज हल्द्वानी, एम० फिल०, नेट (शिक्षाशास्त्र), पीएच० डी० (शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान)
[2]गीता लटवाल, एम० एड०
[3]देवेन्द्र सिंह चम्याल, एम० ए० शिक्षाशास्त्र, एम० ए० इतिहास, एम० एससी० रसायन विज्ञान, एम० ए० गणित, एम० एड० (गोल्ड मेडलिस्ट), शोध छात्र, शिक्षा संकाय, कुमाऊँ वि० वि० नैनीताल, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।

सारांश

इस शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का अध्ययन करना एवं आतंकवाद को कम करने में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना है। आतंकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है– **आतंक और वाद।** आतंक का अर्थ **भय** अथवा **त्रास** है, जबकि वाद का अर्थ **विचार** या **सिद्धान्त** है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि भय या त्रास के माध्यम से अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का विचार या सिद्धान्त ही आतंकवाद है। भारत में आतंकवाद का जन्म बंगाल के उत्तरी छोर में सन् 1967 में नक्सलियों द्वारा हुआ था। वर्तमान समय में भारत में आतंकवादी गतिविधियॉ जम्मू–कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, बिहार, नागालैण्ड, पंजाब, दिल्ली, इत्यादि में है। भारत में अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए **मीसा, टाडा** तथा **पोटा** जैसे कानून बनाये गये हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान द्वारा समर्थित छद्म युद्ध और आतंकवाद है। वर्तमान में कश्मीर समस्या आतंकवाद का कारण बनी हुई है। हालांकि स्वतंन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही कश्मीर में हथियारबंद घुसपैठियों की समस्या उत्पन्न हो गई थी। शिक्षा द्वारा गरीबी कम करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके आतंकवाद को कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य शब्द– आतंकवाद, शिक्षा, जम्मू–कश्मीर, पोटा, टाडा ।

प्रस्तावना

"एक आतंकवादी की परिभाषा उसके तत्कालीन उद्देश्य से की जा सकती है। वह शक्ति का प्रयोग भय को उत्पन्न करने के लिए करता है। और इसके द्वारा वह इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है जो उसके मस्तिष्क में है"

–जी. श्वार्जनबगैर

आतंकवाद विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। बीसवीं शताब्दी के अन्तिम तीन दशकों में आतंकवाद सम्पूर्ण विश्व में एक अमानवीय प्रवृत्ति के रूप में बड़ी तेजी से उभरा है, जिससे लगता है कि हम आतंकवादी युग में जी रहे हैं। आतंकवादी घटनाएँ किसी देश विशेष के लिए नहीं लगभग सभी देशों के लिए एक अभिशाप बन गयी है। आतंकवाद को परिभाषित करना सरल नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्रता के लिए भारतियों का क्रान्तिकारी प्रयास अंग्रेजों की दृष्टि में आतंकवाद था। शाब्दिक रूप में **'टैरर' (आतंक)** शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है तथा रोमन समूह की भाषाओं में समाविष्ट होने के पश्चात् यह शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में भी प्रचलित हो गया है। इस शब्द से व्युत्पन्न **'टैररिज्म'** (आतंकवाद) और 'एक्ट ऑफ टैररिज्म'

(आतंकवादी कृत्य) वर्तमान में अत्यधिक प्रचलित हो गए हैं। रोमानिया के प्रोफेसर **शदुलेस्कू** के अनुसार, **"आतंकवाद मूलतः सम्पत्ति तथा जीवन को भारी नुकसान पहुँचाने में बम तथा ऐसी ही अन्य समर्थ युक्तियों अर्थात विस्फोटों के रूप में स्वयं को प्रकट करता है"** देश के अन्दर आतंकवाद व्यवस्था के प्रति असंतोष से उपजता है। यह अति शोषण और अति पोषण से पनपता है। यदि असंतोष का समाधान न किया जाय तो वह विस्फोटक होकर अनेक रूपों में विध्वंस करता है और निरपराध मनुष्यों के प्राणों से उनकी प्यास बुझती। आतंकवाद को निष्प्रभावी बनाने के लिए उसे जीवित रखने वाली परिस्थितियों को नष्ट करना आवश्यक है। असहिष्णुता, अवॉछित–अनियन्त्रित लिप्सा, अत्याधुनिक शस्त्रों की सुलभता आतंकवाद को जीवित रखे हुए हैं। प्रारम्भ में लगता था कि आतंकवाद सरकारों के विरूद्ध एक युद्ध है, किन्तु अब इसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापक रूप को देखते हुए कहा जा रहा है कि आतंकवाद व्यवस्थित एवं लोकतान्त्रिक समाजों तथा व्यवस्था के विरूद्ध हिंसात्मक युद्ध है। आतंकवाद सम्पूर्ण मानव संस्कृति का शत्रु है जो विश्व के उदारवादी समाजों को निरंकुश राज्य शासन की ओर ढकेल रहा है। यह प्राचीन काल की डाकागिरी के रूप में भी नहीं है, न कि लुक–छिपकर मारपीट करके भाग जाना ही, बल्कि यह तो एक सतत संग्राम है और परम्परागत संग्राम के नियमों की परवाह नहीं करता। **ब्रायन एम0 जेनकिन्स** के अनुसार, **"आतंकवादी क्रियाओं में बहुधा विशिष्ट माँगों के साथ हिंसा या हिंसा की धमकी समाविष्ट होती है। हिंसा का शिकार सामान्य जनता होती है। हिंसा का लक्ष्य राजनीतिक होता है। आतंकवादियों की क्रियाएँ सामान्य रूप से इस प्रकार की जाती हैं कि उससे उन्हें अधिकतम प्रचार की सफलता प्राप्त हो। आतंकवादी इस संगठित समूह के सदस्य होते हैं तथा वे अन्य अपराधियों की अपेक्षा अपने कार्य के लिए प्रसिद्धि का दावा भी करते हैं। अन्त में आतंकवादी क्रियाओं का लक्ष्य तत्काल भौतिक वस्तुओं के विनाश की अपेक्षा प्रभाव को उत्पन्न करना होता है।"** आतंकवाद नागरिक कानून को भी महत्व नहीं देता। इसके समर्थक अर्थात आतंकवादी इसकी आदर्शीकरण करते हैं तथा इसको दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रतिपादित भी करते हैं। आतंकवाद के विभिन्न कारण हो सकते हैं और व्याख्याएँ भी, अतः आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं दी जा सकती। यहॉ तक कि तीसरी दुनिया के विरोध के कारण 1975 में संयुक्त राष्ट्रसंघ भी आतंकवाद को परिभाषा के घेरे में नहीं ला सका। फिर भी सामान्य स्तर पर आतंकवाद का तात्पर्य राजनीति प्रेरित हिंसा, तोड़–फोड़, आगजनी, अपहरण, फिरौती, सामूहिक हत्याएँ तथा अन्य धार्मिक, जातीय, भाषायी जैसे छोटे–छोटे समुदायों तथा राजनैतिक महत्वाकांक्षियों द्वारा भी लिया जाता है, जो समाज, देश या विश्व में आतंक उत्पन्न करके अपने लक्ष्यों के बारे में व्यापक जनमत तैयार करना चाहते हैं। आतंकवादी शासन एवं देश पर प्रभाव डालकर अपनी मॉगों को पूरा कराने का प्रयास भी करते हैं। चूंकि आतंकवाद का शिकार प्रायः निर्दोष जनता होती है, अतः जनजीवन एवं व्यवस्था में आतंक और घबराहट पैदा हो जाती है। आतंक का अर्थ है भय। जब कोई व्यक्ति या समूह हिंसा करके अपने स्वार्थ सिद्ध करता है तो वह आतंकवादी कहलाता है। इस प्रकार की अतिवादी हिंसक विचारधारा आतंकवाद कहलाती है। किसी व्यक्ति द्वारा सीमित क्षेत्र में फैलाया गया भय प्रायः गुण्डागर्दी कहलाता है, परन्तु जब यही भय पूरे के पूरे समूह, देश या क्षेत्र में फैलता है तब वह आतंकवाद कहा जाता है। इसके प्रभाव में आया क्षेत्र आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। संक्षेप में आतंकवाद की अधिक पूर्ण परिभाषा इस प्रकार होगी, **"अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक पात्र द्वारा दूसरे पात्र के विरूद्ध निष्पादित आतंकवादी कृत्य"।** इसमें (अ) राज्य, (ब) मुक्ति के लिए युद्धरत राष्ट्र, (स) अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निष्पादित आतंकवादी कृत्य सम्मिलित होगा। बुनियादी तौर पर किसी भी देश की स्थापित कानूनी व्यवस्था के विरूद्ध हिंसात्मक कार्यवाही को आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि वैध व्यवस्था अवैध हिंसात्मक हस्तक्षेप को कभी भी मान्यता प्रदान नहीं कर सकती। आतंकवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष, नियमित, संगठित और केन्द्रीकृत नहीं होती है, बल्कि यह विस्तृत और सघन होती है। गुरिल्ला लड़ाई और नियमित घोषित युद्ध के मध्य की यह व्यवस्था है। इसकी परिभाषा, अवधारणा, स्वरूप, कार्य शैली, रणनीति और शक्ति परिधि समयागत और परिस्थितिगत परिवर्द्धित होते रहे हैं। 17वीं सदी में भारत की केन्द्रीय मुगल सल्तनत की दृष्टि में शिवाजी की छवि मात्र 'छापामार' या आतंकवादी की थी, लेकिन मराठों के वे हीरो थे, हिन्दुओं के एक विशाल वर्ग के वे नायक थे। 20वीं सदी के प्रारम्भ में रूसी जार सत्ता, लेनिन, ट्राटस्की, स्टालिन और क्रान्तिकारियों को आतंकवादियों की श्रेणी में रखती थी, लेकिन सन् 1917 की अक्टूबर क्रान्ति के पश्चात् लेनिन जननायक कहलाए, विश्व के महान क्रान्तिकारी कहलाए। चीन में माओत्सेतुंग की स्थिति इससे अलग नहीं थी। वे तो

छापामार युद्ध के महायोद्धा थे, लेकिन चीन की केन्द्रीय सत्ता पर आसीन चांग काई शेक की दृष्टि में वे सिर्फ छापामार लड़ाकू या आतंकवादी थे। वहीं माओ आगे चलकर सम्पूर्ण चीन के जननायक कहलाए, बल्कि अर्द्ध देवत्व के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वियतनाम के होची मिन्ह और क्यूबा के कास्त्रों व चेग्वेरा की आतंकवादी से लोकनायक बनने की कहानी भी इसी प्रकार की है। साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार की परिभाषा में रामप्रसाद बिसमिल, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद जैसे शहीद आतंकवादी ही थे, लेकिन वास्तव में स्वतन्त्रता हेतु संघर्षरत भारतवासियों ने इन आतंकवादियों को क्रान्तिकारी, स्वतन्त्रता सेनानी, जननायक, मुक्ति योद्धा और अमर शहीद जैसे सम्बोधनों से सम्बोधित किया।

भारत में आतंकवाद का उदय सन् 1967 ई० में बंगाल में नक्शलवाद से हुआ। नक्सलवादी आन्दोलन ने सन् 1974 ई० तक न जाने कितनी जाने ले ली। नक्शलवाद के कहर को तब पूरा देश महसूस करता था। सन् 1967 ई० में जिस आतंकवाद ने भारत में कदम रखे, उसकी काली छाया आज भी मौजूद है। 1967 में शुरू हुआ यह आतंकवाद तेलंगाना, श्री काकूलम में नक्सलियों ने तेजी से फैलाया। सन् 1981 से 1991 ई० तक पंजाब में भ्रष्ट राजनीति और पाकिस्तान की साजिस से सिख आतंकवाद ने हजारों निरपराधों की जाने ले ली थी। भिण्डरवाला ने खालिस्तान की मॉग की। कई नवयुवक साजिश के शिकार बने और आतंकवादी बनकर विनाश के मार्ग पर चल पड़े। देश के शीर्षस्थ नेता मारे गए। इन्दिरा गॉधी, संत लोंगोवाल, लाला जगतनारायण की हत्या की गई। परन्तु वहॉ की जनता जल्दी ही इसके प्रति शतर्क हो गई। पंजाब का आतंकवाद अब बीती बात है। आज सम्पूर्ण विश्व में फैल रहा आतंकवाद जहॉ धर्मान्धता से कुछ–कुछ सम्बद्ध है, वहीं राष्ट्रो के भीतर फैलाया जा रहा आतंकवाद सत्ता लोलुपता और राजनैतिक स्वार्थ का फल है। भारत में अलगाववादी प्रवृत्तियों के कारण भी आतंकवाद फैल रहा है। उनका लगाया बबूल का पेड़ अपने कांटो से उनका दामन भी तार–तार कर सकता है, यह वे भूल जाते हैं। भौतिकवादी युग ने सत्ता की भूख बड़ा दी है। सत्ता न मिलने पर असन्तोष फैलता है। इसकी अभिव्यक्ति होती है भय या आतंक फैलाकर मनचाही बात मनवाने या वस्तु हड़पने में। उपेक्षित समुदाय आज भी अपना अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए संगठित होकर आतंक फैलाने का मार्ग अपना रहे हैं। पूर्वांचल का आतंकवाद व कश्मीर का आतंकवाद धर्मों के नाम पर विदेशों से धन व शस्त्र पाकर पुष्ट हो रहा है। विद्वानों ने आतंकवाद को सामान्यतः व्यक्तिगत आतंकवाद, क्षेत्रीय आतंकवाद, राज्य का आतंकवाद, राष्ट्रीय आतंकवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में विभाजित किया है। सभी प्रकारों के आतंकवाद में हिंसा का प्रयोग निश्चित रूप से उपस्थित रहता है और आतंकवाद का उद्देश्य भय उत्पन्न करना है। आतंकवाद का श्रीगणेश साम्राज्यवाद एवं भ्रष्ट प्रशासन को उखाड़ फेंकने के लिए पवित्र उद्देश्यवश हुआ था, किन्तु धीरे–धीरे इसका स्वरूप भयावह होता गया। 1960 के प्रारम्भ में लेटिन अमेरिकी देशों में आधुनिक आतंकवाद दृष्टव्य हुआ, जिसके बाद 1968 तक अन्तर्राष्ट्रीय युवकों/विद्यार्थियों के विद्रोह उमड़ने लगे। यह विद्यार्थी विद्रोह पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान आदि में आतंकवादी आन्दोलनों के रूप में बदल गये। क्षेत्रीय विवाद, धार्मिक उन्माद, भाषायी हिंसा एवं जातीय उन्माद से आतंकवाद को सशक्त विनाशकारी, घृणापूर्ण परम्परा को अपनाना, महत्वाकांक्षाओं की अतिशीघ्र साकार करने की उतावली, विदेशी प्रलोभन राजनैतिक भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, निर्धनता एवं बेकारी ने आतंकवाद के नये शरीर को जन्म दिया है। आतंकवाद की समस्या के लिए निम्नलिखित कारणों को विशेषतः उत्तरदायी माना जाता है–

- **आर्थिक दशाएँ**– युवाओं/विद्यार्थियों द्वारा किये गये विद्रोह/आतंक का मूल कारण आर्थिक ही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के रूप में विदेशी भाड़े के सैनिक इसके उदाहरण हैं।
- **निम्न स्तरीय शैक्षणिक दशाएँ**– विश्वविद्यालयों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, प्राध्यापकों की अपर्याप्त संख्या एवं उनमें उच्च स्तरीय योग्यता का अभाव, पुराने एवं अनुपयुक्त पाठ्यक्रम का प्रचलन, समुचित स्थान का अभाव आदि के कारण ही आतंकवाद को प्रश्रय मिलता है।
- **वर्तमान व्यवस्था**– वर्तमान व्यवस्था युवाओं की आकांक्षाओं तथा पिपासाओं को सन्तुष्ट नहीं कर पा रही हैं, अतः वे भीतर ही भीतर आक्रोशित है।
- **हथियारों का आधुनिकीकरण**– शस्त्रास्त्र–यांत्रिकी आधुनिकता इस सीमा तक पहुँच गई है कि बहुत तीक्ष्ण रूप से काम करने वाले लघु अकारकीय हथियार उपलब्ध हो गये हैं, जिनका उपयोग आधुनिक आतंकवादी आसानी से छिपाकर करते हैं। ऐसे हथियारों को प्राप्त करना भी कठिन नहीं है, इनको लाना ले जाना भी सरल है। इनको चलाने व रखने में भी सरलता है।

- **परिवहन के अत्याधुनिक साधन**– वर्तमान समय में अत्यन्त तीव्र गति वाले यातायात के साधन विकसित हुए हैं, जिनसे सम्पूर्ण विश्व सिकुड़कर छोटा हो गया है। आतंकवादी आतंक की क्रियायें करके विश्व के किसी भी स्थान में छिप सकते हैं।
- **संचार साधनों में वृद्धि**– विश्व में संचार साधनों की प्रगति एवं वृद्धि ने भी आतंकवाद की क्षमता में असीमित वृद्धि की है।

आतंकवादी कार्यों की विधियॉ/तकनीकें

वर्तमान समय में आतंकवादियों द्वारा आतंक उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित तरीकों या तकनीकों को अधिकाधिक प्रयुक्त किया जा रहा है–

- **विमान अपहरण या प्लान्नयन**– इसमें यातायात के साधनों (हवाई जहाज, ट्रेन, जलयानों तथा बसों) को उनके यात्री सहित या बिना यात्री के ही बलात् अपने नियन्त्रण में रखा जाता है तथा उन्हें मार्ग बदलकर अपने मनचाहे स्थान में ले जाकर अपनी माँगों को पूरा करने के लिए सरकार को बाध्य किया जाता है।
- **बन्धक**– इसके अन्तर्गत आतंकवादी किसी विदेशी दूतावास या सरकारी भवन पर कब्जा करके वहाँ रहने वाले लोगों को बन्धक बना लेते हैं तथा अपनी माँगों की पूर्ति के पश्चात ही भवन और व्यक्तियों को छोड़ते हैं।
- **अपहरण**– इस तकनीक के अन्तर्गत आतंकवादी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपहरण करके उसे गिरवी के रूप में किसी गुप्त स्थान पर रखते हैं तथा सरकार को अपनी माँग मनवाने के लिए बाध्य करते हैं।
- **छिपकर हत्या करना**– किसी महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी या व्यक्ति को छिपकर या कभी–कभी खुलेआम जनता के बीच मार डालना इस तकनीक का प्रमुख पहलू है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या से राज्य, शासन एवं समाज में दहशत और आतंक फैल जाता है।
- **सामूहिक नरसंहार**– इस तकनीक के अन्तर्गत बसों, ट्रेनों से यात्रियों को उतार कर गोलियों से भून देना, शादी–व्याह में दनादन गोली या बम वर्षा करना, बाजारों में अचानक फायर या बमबाजी करना प्रमुख है।
- **आक्रमण**– इसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दूतावासों आदि पर आक्रमण किया जाता है। बम विस्फोट करना या अग्निकाण्ड करना फैसिलिटी अटैक का प्रमुख उपाय है ताकि सरकार और जनता आतंकित हो जाये। न्यूयार्क में 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' और 'बम्बई विस्फोट' इसके प्रमुख उदाहरण है।

आतंकवाद की समस्या पर नियंत्रण

वर्तमान समय में आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या बन गयी है। अतः अधिकांश देशों की सरकारों ने विभिन्न प्रकार के उपायों से इसको नियन्त्रित करने का प्रयास किया है। आतंकवाद की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं, यथा–

- यदि सभी राष्ट्र आतंकवादियों को अपने शत्रु विरोधी देशों के विरूद्ध प्रशिक्षण, शरण और प्रोत्साहन देना बन्द कर दें तो आतंकवाद में काफी कमी आ सकती है।
- विश्व स्तर पर एक आचार संहिता बनायी जाय जिसका पालन सभी देश करें। इससे आतंकवादियों को पहचानने में सहायता हो जायेगी।
- सभी देश एक दूसरे के यहॉ आतंकवाद को बढ़ावा न देने का संकल्प करें। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों से सभी सम्बन्ध तोड़ लिए जायें तथा उनका बहिष्कार कर दिया जाय।
- विश्व में रंगभेद और जाति/प्रजाति भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जाय।
- युवा वर्ग को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराये जाय।
- आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम हेतु सुरक्षा–संरक्षकों का गठन किया जाय, जैसा कि इजरायल और अमेरिका में किया गया है। इन सुरक्षा संरक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाय कि वह आतंकवाद को जन्मने के पूर्व ही नष्ट कर डालें या उसकी योजनाओं को विफल कर दें।
- अपहरण एवं बंधक जैसी आतंकवादी कार्यवाहियों से निपटने हेतु विशिष्ट कमाण्डों बल तैयार किया जाय।

- संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत आतंकवाद की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जायें। जो भी देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन्हें 'आतंकी' घोषित करते हुए उनके खिलाप अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध लगाये जायें।
- विभिन्न देशों के मध्य जो भी आपसी तनाव, संघर्ष और वैमनस्य है, उसे परस्पर बातचीत के द्वारा हल किया जाय न कि आतंकवाद का सहारा लिया जाय।
- विश्व के बड़े देशों को आतंकवाद को दूर करने में पर्याप्त सहयोग देना चाहिए। उन्हें किसी देश विशेष के पक्ष या विपक्ष में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

भारत में आतंकवाद– जम्मू–कश्मीर राज्य के विशेष सन्दर्भ में

भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं असम में आतंकवादी कार्यों के लिए पाकिस्तान सर्वप्रथम कारण है। इस तथ्य के अनेक सबूत भी मिल चुके हैं कि पाकिस्तान उक्त देशों में आतंकवादियों को उकसाने का कार्य ही नहीं करता बल्कि उन्हें शरण, ट्रैनिंग, हथियार और धन भी देता है। पाक अधिकृत कश्मीर में लाहौर एवं इस्लामाबाद में आतंकवादियों के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनकी देखरेख इण्टर सर्विसेज इन्टेलीजेंस या आई0 एस0 आई0 द्वारा की जाती है। कई हजार करोड़ रूपये की नशीली चीजें प्रतिवर्ष अफगानिस्तान से पाकिस्तान द्वारा भारत और यूरोप सहित अमेरिका में पहुंचाई जाती हैं। अधिकारियों और देश के जिम्मदार लोगों की आतंकवादियों की कार्यवाहियों के विरोध में जनता में जागरूकता लाने के प्रति उपेक्षा की भावना है। यदि जनता में आतंकवाद के विरोध हेतु तैयार किया गया होता तो स्थिति इतनी गम्भीर न होती। जम्मू–कश्मीर से हिन्दुओं को खदेड़ देना देश के नेतृत्व के बारे में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। भारतीय राजनेता अपने वयक्तिगत और दलगत स्वार्थों/हितों की पूर्ति के लिए आतंकवादियों का उपयोग हिंसा के लिए करते हैं। भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति भी आतंकवाद का एक महत्वूर्ण कारण है। जम्मू कश्मीर, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, असम एवं त्रिपुरा जैसे राज्यों में आजादी के बाद न तो उद्योग–धन्धे स्थापित किये गये न आर्थिक विषमता ही दूर की गयी जिससे आतंकवादी गतिविधयों को बल मिलता है।

अप्रैल, 2002 में गृह राज्यमंत्री सी० एच० विद्यासागर राव ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि भारत में लश्कर–ए–तौयबा, जैश–ए–मौहम्मद, लिट्टे, हरकत–उल–मुजाहिदीन तथा सिमी सहित 31 प्रमुख उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। इनमें से कुछ ने पाकिस्तान अथवा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में अपने ठिकाने बना रखे हैं। लिट्टे जैसे उग्रवादी संगठन श्रीलंका से अपनी गतिविधि का संचालन करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोहियों ने पड़ोसी देशों में अपने कैम्प स्थापित कर लिए हैं। उल्फा तथा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, एन० एल० एफ० टी० तथा ऑल टाइगर्स फोर्स ने बांग्लादेश में तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड और इसके समस्त गुटों ने म्यांमार और बांग्लादेश में अपने कैम्प स्थापित किए हुए हैं। कश्मीर में आतंकवाद सीधे–सीधे पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा प्रेरित है। इसके प्रमाण पकड़े गए घुसपैठियों–आतंकवादियों से कई बार मिल चुके है। प्राशिक्षित आतंकवादी कश्मीर में लगातार आतंक फैलाकर वहॉ की जनता का मनोबल तोड़ने में आज भी लगे हुए है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ घृणित अत्याचार करके उनको कश्मीर छोड़ने पर विवश किया जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान उस पर कब्जा कर सकें। अब तक लाखों कश्मीरी हिन्दू बेघर होकर भटक रहे हैं तथा हजारों आतंकवादी हमलों में मारे गए हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में सफलता न पाकर अब बड़े शहरों, यहॉ तक कि दिल्ली के संसद भवन तक निशाना बना चुके हैं। कभी गुजरात के गोधरा में आग लगाते हैं। कभी मश्मीर की मस्जिद में खून बहाते हैं। कभी कोलकाता में बम फूटते हैं तो कभी मुम्बई में कर्मिक बम फूटते हैं और कभी गुजरात में भीषण नरसंहार होता है। असम, बिहार, लागालैण्ड, सिक्किम, मिजोरम पहले ही इससे जूझ रहे हैं। इस प्रकार लगभग पूरा भारत आतंकवाद की चपेट में है। जम्मू और कश्मीर राज्य देश के विभाजन के उपरान्त से ही पाकिस्तानी कूटनीतिक चाल का प्रमुख केन्द्र बिन्दु होने के कारण द्विराष्ट्र सिद्धान्त की उसकी संकल्पना के अनुसार वह सन् 1947 के विभाजन को सदैव अपूर्ण मानता रहा है। उसने इस राज्य को अपने आधिपत्य में लेने के लिए बार–बार प्रयास किए– पहली बार सैनिकों के सक्रिय समर्थन के साथ कबाइलियों की घुसपैठ के द्वारा। लेकिन प्रत्येक बार उसे मुॅह की खानी पड़ी, हर बार भारत ने उसे मुॅह तोड़ जवाब दिया है। नवम्बर 2000 को भारत

द्वारा कश्मीर में घोषित एकपक्षीय संघर्ष विराम मई 2001 तक चला। तब अनेक अटकलें लगी थी कि सम्भवतः इस समस्या का, जिसमें अभी तक 65000 से भी अधिक कश्मीरी नागरिक और भारतीय सुरक्षाकर्मियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है, कोई शान्तिपूर्ण हल निकल आए। लेकिन आज भी इसी पाक समर्थित आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान की सेनाएँ सीमा पर आमने–सामने हैं। यह स्थिति किसी भी दिन युद्ध में परिवर्तित हो सकती है। इस समस्या के गम्भीर मोड़ लेने का कारण एक बार पुनः पाकिस्तान है। पाकिस्तान की गुप्तचर शाखा आई० एस० आई के निर्देश पर 13 दिसम्बर 2000 की प्रातः 11:40 बजे भारतीय संसद पर जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तौयबा से सम्बद्ध आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। आतंकवादी संसद भवन परिसर में बाहरी सुरक्षा को तोड़कर घुस गए। इनमें से एक मानव बम भी था। यदि इन पाँचों आतंकवादियों को सुरक्षाकर्मी ने धराशायी नहीं किया होता तो इनका निशाना भारत का शीर्ष राजनैतिक नेतृत्व था। पाकिस्तानी राष्ट्रपति, जनरल जिया उल हक ने भारत के विरूद्ध एक अघोषित युद्ध तब आरम्भ किया, जब पाकिस्तान ने यह समझ लिया कि परोक्ष युद्ध में उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। अघोषित युद्ध राज्य में असन्तुष्ट युवकों की भावनाओं को भड़काकर और उन्हें भ्रमित करके चोरी छिपे शुरू हुआ। इसके परिणामस्वरूप सन् 1989–90 के वर्ष में घाटी से पाकिस्तान को व्यापक पैमाने पर कश्मीर युवको को सीमा पार कराई गई। पाकिस्तान ने स्थानीय युवकों को विघटनकारी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया, उन्हें अत्याधुनिक हथियार प्रदान किए और फिर उन्हें घाटी में आतंक फैलाने के लिए वापस भेज दिया। बाद में जब इन स्थानीय युवकों का मोह भंग हुआ और उन्हें स्थानीय समर्थन कम होने लगा तो पाकिस्तान को इस राज्य में पाकिस्तानी और भाड़े के विदेशी सैनिकों की घुसपैठ कराने को विवश होना पड़ा। पाकिस्तान का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी कुटिलता से आतंकवाद को कायम रखता है और भारत के समक्ष मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कश्मीर समस्या के समाधान से भारत सहज हो जाएगा और व्यापक विकास के मार्ग पर अग्रसर हाने में समर्थ हो सकेगा। यही भावना पाकिस्तान को, घाटी में आतंकवाद की आग को सुलगाये रखने के लिए मजबूर कर रही है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के अघोषित युद्ध ने निम्न प्रकार का विशाल स्वरूप धारण कर लिया है–

- घुसपैठ में वृद्धि करने और उसे कारगर बनाने हेतु पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पार से गोलीबारी में वृद्धि।
- उग्रवाद की सीमा को जम्मू और उससे आगे तक फैलाना, जिसमें राजौरी, पुंछ और डोडा पर अधिक ध्यान दिया हैं अर्थात् पीर पंजाल रेंज को दक्षिण में उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि करना।
- साम्प्रदायिक समीकरणों को दृष्टिगत रखते हुए निर्दोश लोगों की हत्याएँ करना।
- किराए के विदेशी सैनिकों के प्रशिक्षण में वृद्धि । जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों को तीव्र नेतृत्व प्रदान करने के लिए दूसरे देशों के किराए के दूसरे सैनिकों का प्रयोग।
- उग्रवादी गतिविधियों में स्थानीय युवकों को अधिकाधिक सम्मिलित करना।
- 'फिदाईन' आत्मघाती दस्तों का लगातार प्रयोग।
- घुसपैठ के लिए वास्तविक नियन्त्रण रेखा के साथ–साथ उच्च तुंगता वाले दरों सहित नवीन मांगों का प्रयोग।
- कश्मीर मामले पर भारत के विरूद्ध पाकिस्तानी कूटनीतिक और आक्रामक कुप्रचार जबरदस्त तरीके से जारी रखना।
- राज्य में उग्रवाद को जारी रखने के लिए धन–प्रवाह में वृद्धि, इसकी व्यापक मात्रा जाली मुद्रा होती है और यह हवाला के द्वारा आता है।
- सुरक्षा बलों पर अत्याधुनिक हथियारों से और पृथक–पृथक स्थानों पर अल्पसंख्यकों पर हमले करवाना। अचूक निशाने वाली लम्बी दूरी के हथियारों के अधिकाधिक प्रयोग से उग्रवादी रणनीति में नवीन आयाम जुड़ा है।
- मिश्रित कश्मीरी संस्कृति को परिवर्तित करने के उद्देश्य से पाक–इस्लामिक रूढ़िवादियों को जम्मू–कश्मीर में लगातार भेजते रहना।

जम्मू–कश्मीर में अनेक आतंकवादी गुट सक्रिय है जिनमें मुख्य है– हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर–ए–तौयबा, हरकत–उल–मुजाहिदीन, हरकत–उल–जिहाद–ए–इस्लामी, तहरीक उल–मुजाहिदीन और अल बदर। हिजबुल मुजाहिदीन के अतिरिक्त अन्य गुटों में अधिकांशतः किराये के विदेशी सैनिक हैं। नवीनतम

ऑकड़े यह इशारा करते हैं कि सीमा पार से प्राप्त प्रोत्साहन के कारण वर्ष 2000 की तुलना में 2001 में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। जहॉ वर्ष 2000 में आतंकवाद की 3074 घटनाएँ हुई जिनमें 762 सामान्य लोग मारे गए वहीं 2001 में 4522 आतंकवादी घटनाएँ हुई जिनमें 919 सामान्य लोग मारे गए।

आतंकवाद को कम करने में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है। तथा शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन हैं। शिक्षा लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने लायक बनाती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की **शिक्ष्** धातु में **अ** प्रत्यय लगाने से बना है। **शिक्ष् का अर्थ है– सीखना।** इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ– **सीखने–सिखाने** की प्रक्रिया। **विवेकानन्द** के अनुसार, **''शिक्षा मनुष्य के अन्दर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है।''** शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला–कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरन्तर विकास करते हैं। **सुकरात** के अनुसार, **''शिक्षा का अर्थ है– प्रत्येक मनुष्य के मष्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्धमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना।''** शिक्षा मानव विकास का मूल साघन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उनके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। और यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ हो जाता है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके माता– पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना और बोलना सिखाने लगते है। जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसे उठने– बैठने, चलने– फिरने, खाने– पीने तथा सामाजिक आचरण की विधियॉ सिखाई जाने लगती है। जब वह तीन चार वर्ष का होता है तो उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगते है। इसी आयु पर उसे विद्यालय भेजना प्रारम्भ किया जाता है। विद्यालय में उसकी शिक्षा बड़े सुनियोजित ढ़ंग से चलती है। विद्यालय के साथ–साथ उसे परिवार उसे एवं समुदाय में भी कुछ न कुछ सिखाया जाता रहता है और सीखने सिखाने का यह क्रम विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता रहता है और जीवन भर चलता है। विस्तृत रूप में देखें तो किसी समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती हैं। अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने–सिखाने की यह सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। मानव एक विवेकशील प्राणी है। इस विवेकशीलता के कारण ही वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षों के विकास के प्रति सचेत रहा है, तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहा है, और इन सब के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है शिक्षा। शिक्षा ही वह आधार है जिसके बल पर आज मानव अपनी पुरानी जंगली अवस्था से निकलकर एक सभ्य मानव के विर्निमाण की ओर सदैव प्रयत्नशील और अग्रसर है। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक शिक्षा के क्षेत्र व स्वरूप में अनगिनत परिवर्तन हुए हैं जिससे शिक्षा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ती आ रही है। हमारी शिक्षा घर से शुरू होती है। घर को शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। इसके पश्चात वह स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने जाता है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। कोई भी राष्ट्र शिक्षा के बिना उन्नति नहीं कर सकता है। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान कौशल, मूल्य, विश्वास तथा बुद्धि का विकास करता है। शिक्षा व्यक्ति में अच्छे विचार पैदा करती है। शिक्षा औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक तरीके से ली जा सकती है। आतंकवाद के जड़ तनाव अधिकारों से वंचित उग्रवाद नैतिक पतन इत्यादि है। इन उपरोक्त बुराइयों को दून करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है साथ ही वह व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करती है। आतंकवाद को रोकने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा समाज को अच्छे विचार देती है।

उपसंहार

आज सम्पूर्ण विश्व में फैल रहा आतंकवाद जहॉ धर्मान्धता से कुछ–कुछ सम्बद्ध है, वहीं राष्ट्रों के भीतर फैलाया जा रहा आतंकवाद सत्ता लोलुपता और राजनैतिक स्वार्थ का फल है। भारत में अलगाववादी

प्रवृत्तियों के कारण भी आतंकवाद फैल रहा है। क्षेत्रवाद और व्यक्तिवाद का रक्त सत्ता में बैठे लोगों को जान–बूझकर प्रश्रय देते हैं। उनका लगाया बबूल का पेड़ अपने कांटो से उनका दामन भी तार–तार कर सकता है, यह वे भूल जाते हैं। हमारा देश ही नहीं, आतंकवाद से और भी कई राष्ट्र पीड़ित है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व पेंटागन पर हुए आतंकवादी हमले में आतंकवाद को अन्तर्राष्ट्रीय रूप दे दिया। आतंकवाद के मूल में राजनीति का अपराधीकरण होना तो एक कारण है ही लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं है। आतंकवाद के नाम पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर दोषारोपण करना एक आम बात हो गई है। भारत में आतंकवाद की गतिविधियों को देखते हुए कुछ राष्ट्र भारत को समर्थन देने के नाम पर लामबंध होने की बात करने लगे हैं। एक समय पाकिस्तान का समर्थक रहा अमेरिका भी अब स्वयं पाकिस्तानी आतंकवाद से परेशान है। कुल मिलाकर अगर इस पर सीघ्र ही काबू न पाया गया तो यह समूचे विश्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आतंकवाद पर विजय प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी स्तरों पर समन्वित एवं दृढ़ प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह समूची मानव सभ्यता को अपने भस्मासुरी हस्त को नीचे भस्म कर देगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

अग्रवाल, एस० (सन् नही)। *तुलनात्मक शिक्षा* । हल्द्वानीः अरविन्द बुक एजेन्सी।

अग्निहोत्री, एस० के० (2016)। *अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति।* कोटाः वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय।

कुँवर, आर० के० (2016)। *समकालीन विश्व राजनीति।* हल्द्वानीः राज इण्टरप्राइजेज।

कौल, एल० (2009)। *शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली* । नई दिल्लीः हाउस प्राइवेट लि०।

गुप्ता, एस० (2005)। *एजुकेशन इन इमर्जिंग इण्डियॉ : टीचर्स रोल इन सोशाइटी* । दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेशन्स।

चड्डा, एस० सी० (2007)। *टीचर्स एण्ड दी इमर्जिंग इण्डियन सोशाइटी* । मेरठः इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस।

चम्याल, डी० एस० & मनराल, बी० (2018)। टैररिज्म बनाम माडर्न एजुकेशन सिस्टमः विद् रिफ्रेन्स टू इन्डिया। *इन्डियन स्ट्रीम्स रिसर्च जनरल*, 7(7)।

तनेजा, वी० आर० (1986)। *एजुकेशनल थॉट एण्ड प्रैक्टिस* । नई दिल्लीः स्टिरलिंग प्राइवेट लिमिटेड।

नारायण, बी० & एट० एल० (2011)। *सामान्य अध्ययन* । दिल्लीः यूनिक पब्लिकेशन्स।

राय, पी० & राय, सी० पी० (2012)। *अनुसंधान परिचय* । आगराः लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।

लाल०, आर० बी० & पलोड़, एस० (2008)। *शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग* । मेरठः आर० लाल बुक डिपो।

सिंह, आर० के० (2010)। *मैकनिक्स ऑफ रिसर्च राइटिंग* । बरेलीः प्रकाश बुक डिपो।

श्रीवास्तव (सन् नहीं)। मानक हिन्दी व्याकरण प्रबोध । नई दिल्लीः हितैशी प्रा० लि०।

वेबसाइट

www.google.com

www.librarykvfazilkachandigarh.blogspot.com

www.sodhganga.inflibnet.in

डॉ. अजय सिंह लटवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, कुमाऊँ वि० वि० नैनीताल, महिला डिग्री कालेज हल्द्वानी, एम० फिल०, नेट (शिक्षाशास्त्र), पीएच० डी० (शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान)